



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हरिवाला, देहरादून – 248001

दूरभाष : 0135-2685124, फ़ैक्स : 0135-2685137, ईमेल : uauinfo4@gmail.com

पत्रांक संख्या :- 1943

दिनांक:- 28-9-17

ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0-2017 काउंसलिंग सूचना

भारत सरकार के पत्र संख्या R.11011/04/2016-EP(IM-1) दिनांक 28.09.2017 के अनुसार ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0-2017 काउंसलिंग में अर्ह होने हेतु इंटरनशिप पूर्ण करने की तिथि बढ़ाकर दिनांक 31.10.2017 कर दी गयी है। शेष शर्तें यथावत लागू रहेगी।

Atakhar
कुलसचिव